

तारीख हुक्म	गोरधनराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) सू.अ.अपील संख्या 298 / 2022	न. व तारीख अहकाम इस हुक्म तामील में जारी हुए
30.09.22	<p>अपीलार्थी गोरधनराम सोनी पुत्र किसनाराम सोनी निवासी मु.पो. जाजीवाल कला, तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2022 में उसके द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद क्रमांक 052207812683714 में दिनांक 01.06.2022 में सम्पर्क परिवाद के प्रत्युत्तर में जोधपुर तहसीलदार द्वारा सीमांकन कर सीमाज्ञान थाना प्रभारी को बता दिया गया। उक्त सीमांकन रिपोर्ट कर सीमाज्ञान करवाने वाले पुलिस अधिकारी का नाम से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	